



कोरोना की जानकारी साझा करने में देरी पर ट्रंप चीन से नाराज

>> 11

# दैनिक जागरण

## पूरे देश में लॉकडाउन, उल्लंघन पर होगी जेल

लापरवाही पर लगाम ▶ राज्यों को प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश

हालात पर नियंत्रण के लिए पंजाब और महाराष्ट्र में कर्फ्यू जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना का प्रसार रोकने के लिए लगभग पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया है। सोमवार रात तक 30 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने पूर्ण लॉकडाउन का एलान कर दिया। इस बीच, केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉकडाउन के प्रावधानों को नहीं मानने वालों पर सख्ती करने को कहा है। इसके तहत गैरजरूरी काम के लिए सड़क पर उतरने की कोशिश की या भीड़ इकट्ठी की तो छह माह की जेल या हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन कर रहे लोगों पर पीएम नरेंद्र मोदी की नाराजगी के बाद केंद्र की ओर से राज्यों को लॉकडाउन लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान अपनाते को कहा गया है। इसके बाद सोमवार रात तक पंजाब, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्फ्यू का एलान कर दिया था।

लॉकडाउन वाले राज्यों में जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी गई है। साथ ही लोगों को गैरजरूरी काम से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है, लेकिन सोमवार को दिल्ली समेत कई शहरों में सड़कों पर हजूम दिखा, जो कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिहाज से न सिर्फ घातक है बल्कि जनता कर्फ्यू जैसे अभियान की मंशा को भी धूमिल करता है। यूं तो पीएम ने रविवार को जनता कर्फ्यू के बीच ही कहा था कि अभी उत्सव मनाने का वक्त नहीं है। कोरोना से जंग लंबी चल सकती है। सोमवार को लोगों का व्यवहार देखकर उनकी नाराजगी फूट पड़ी और उन्होंने चेतावनी कि अपने और अपने परिवार का तो ध्यान रखें।

स्वास्थ्य मंत्रालय सोमवार को राज्यों को फिर निर्देश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लॉकडाउन जैसे प्रावधान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने होंगे। महामारी रोग कानून 1897 के तहत इसका प्रावधान है। कोरोना के जिन संदिग्धों ने आइसोलेशन में जाने के निर्देशों का उल्लंघन किया है, उन पर भी यह नियम लागू है। केरल समेत कुछ राज्यों में लॉकडाउन व कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर यह धारा लगाई गई है।

गैरजरूरी काम से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई

छह महीने की जेल या हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान

अभी भी कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। राज्य सरकारें नियमों का पालन करवाएं।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए देश जारी लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर निकलने से नहीं मान रहे हैं। सोमवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में पुलिस (सादे कपड़े में) ने ऐसे लोगों के प्रति सख्त रुख अपनाया।

एम्स में ओपीडी टप, सिर्फ इमरजेंसी में होगा इलाज

नई दिल्ली : कोरोना वायरस की चपेट में कई डॉक्टरों के आने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने ओपीडी सेवा पूरी तरह टप करने का फैसला किया है। मंगलवार से एम्स के मुख्य अस्पताल, कैसर, न्यूरो व हाट सहित सभी सेंटर्स में ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। (पेज-2)

## कुछ समय के लिए जेल से रिहा हो सकते हैं कैदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना जहां दुनिया के लिए अभिशाप बन गया है वहीं कुछ कैदियों को यह थोड़ी राहत भी दे सकता है। कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों की कोरोना से सुरक्षा के इंतजामों पर स्वतः सजा लेकर शुरू की गई सुनवाई में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि कोरोना संक्रमण जेलों में न फैले। कोर्ट ने जेलों में भीड़ कम करने के लिहाज से ये आदेश जारी किए हैं ताकि कैदियों के बीच निश्चित दूरी सुनिश्चित हो और उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। ध्यान रहे कि कुछ दिन पहले ईरान में बड़ी संख्या में कैदियों की रिहाई की गई है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश में कहा है कि जेलों में क्षमता से ज्यादा भीड़ गंभीर चिंता का मुद्दा है। 1897 के तहत इसका प्रावधान है। कोरोना के जिन संदिग्धों ने आइसोलेशन में जाने के निर्देशों का उल्लंघन किया है, उन पर भी यह नियम लागू है। केरल समेत कुछ राज्यों में लॉकडाउन व कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर यह धारा लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को हाई पावर कमेटी गठित करने का आदेश



शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि यह हाईपावर कमेटी तय करेगी कि किस श्रेणी के कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर कितने समय के लिए रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि उदाहरण के तौर पर उन कैदियों की रिहाई पर विचार हो सकता है जो सात साल या उससे कम सजा के जुर्म में दोषी या विचाराधीन हैं। या जो लोग कानून में तय अधिकतम सजा से कम सजा पाए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि किस श्रेणी के कैदियों की रिहाई होगी यह तय करने का अधिकार हाई पावर कमेटी को ही होगा। कमेटी अपराध की विशेषताएँ पर कोरोना महामारी को देखते हुए। कोर्ट ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक हाईपावर कमेटी गठित करने का आदेश दिया। इस कमेटी में स्टेट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह या जेल और डीजीपी कारगार

कोर्ट ने कैदियों की सुरक्षा के लिए लिया था स्तः सज्जान पेज>>7

रामलला को मिला चांदी का सिंहासन

अयोध्या : रामलला को वैकल्पिक गर्भगृह में स्थापित करने की तैयारियों के बीच सोमवार को चांदी का सिंहासन भेंट किया गया। साढ़े नौ किलोग्राम चांदी से निर्मित यह सिंहासन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी एवं अयोध्या राज परिवार के मुखिया विमलेंद्र मोहन मिश्र ने राजसदन स्थित अपने आवास पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को दान स्वरूप अर्पित किया। यह सिंहासन जयपुर के विशेषज्ञ कलाकारों ने राजसदन में कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया है। (पेज-3)

आतंकी संगठन टीआरएफ जेके के छह सदस्यीय मांड्यूल ध्वस्त

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आइएसआइ) की मदद से द रिजिस्टर्ड फ्रंट जम्मू-कश्मीर (टीआरएफ जेके) नामक संगठन तैयार किया है। यह संगठन किसी वारदात को अंजाम देता, उससे पहले पुलिस से सेना की मदद से इसके छह सदस्यीय मांड्यूल को ध्वस्त कर बड़ी मात्रा में हथियार व गोलाबारूद बरामद किया है। पेज-13)

## आज रात से आना-जाना बिल्कुल बंद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए रेल और सड़क के बाद अब हवाई मार्ग भी पूरी तरह बंद करने का फैसला किया गया है। मंगलवार आधी रात से घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह पाबंदी 31 मार्च की आधी रात तक के लिए है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पहले ही 22 से 31 मार्च तक की रोक लग चुकी है।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले दो दिन से विभिन्न राज्यों की ओर से यह मांग हो रही थी कि केंद्र उन राज्यों से आने-जाने वाली उड़ानें बंद कर दे। सोमवार को संसद का सत्र भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और उम्मीद की जा रही है कि सभी सांसद मंगलवार तक अपने-अपने क्षेत्र में होंगे। इसे देखते हुए नागर विमानन मंत्रालय ने मंगलवार की मध्यरात्रि से उड़ानें बंद करने का एलान किया है। सभी एयरलाइनों से कहा गया है कि वे अपनी पहले से तय यात्री उड़ानें मंगलवार 24 मार्च, रात 11:59 मिनट तक पूरी कर लें। इसके बाद सभी

रेल और सड़क के बाद हवाई यातायात पर भी रोक

घरेलू उड़ानों पर मंगलवार आधी रात से 31 मार्च तक रोक

केवल मालवाहक व कुछ विशेष उड़ानों को दी जाएगी अनुमति

अंतरराष्ट्रीय विमानों के आवागमन पर पहले ही तग चुकी रोक

यात्री विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ को बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान केवल कार्गो यानी मालवाहक विमानों से संबंधित उड़ानें का ही परिचालन होगा। मेडिकल जरूरत वाली और डीजीसीए की अनुमति से कुछ विशेष उड़ानों को भी अनुमति होगी। राज्य सरकारों से संबद्ध विमानों या हेलीकॉप्टर पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इससे पहले सुबह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी एयरपोर्ट और एयरलाइनों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बारे में दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें कर्मचारियों और यात्रियों को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने को कहा गया था।

### सरोकार

सावधान! कोरोना के दौर में पानी के लिए न पड़ जाए रोना

नई दिल्ली : एक व्यक्ति दिन में न्यूनतम 5 से 7 बार हाथ धो रहा है। घर को स्वच्छ रखने के लिए पोंछा और धुलाई की जा रही है। इससे प्रति व्यक्ति पानी की खपत बढ़ गई है। क्या कहता है ताजा सर्वे, एक रिपोर्ट। (पेज-13)

### जागरण विशेष

इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस इन्फेक्शन मशीन मददगार साबित होगी

चंडीगढ़ : सीएसआइओ द्वारा तैयार यह मशीन कोरोना वायरस को रोकने में मदद करेगी। छिड़काव करने वाली साधारण मशीनों के मुकाबले यह 80 फीसद अधिक प्रभावी है। आज-कल में दिल्ली में इसका ट्रायल होगा। (पेज-13)

### कोरोना को हराना है

82 जिलों में सेना की कैंटीन बंद, सामान की होम डिलीवरी

● पेज 4

उद्वग ठाकरे बोले, यह निर्णायक जंग का समय

● पेज 4

विदेश में फंसे भारतीयों ने की वापस लाने की गुहार

● पेज 5

कोरोना पर देश की सभी तैव में शोष हुआ शुरू

● पेज 6

कोरोना से जंग में मीडिया की भूमिका को पीएम ने सराहा

● पेज 6

वायरस के सबक भारत के साथ साझा करेगा चीन

● पेज 6

केंद्र के प्रयासों की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ

● पेज 7

### न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

कोरोना के खतरे के मद्देनजर संसद सत्र स्थगित

नई दिल्ली : कोरोना के खतरों को देखते हुए आखिरकार संसद का बजट सत्र भी सोमवार को तय समय से 11 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। पहले लोकसभा ने बिना चर्चा के वित्त विधेयक को पारित कर सरकार के अगले वित्त वर्ष के बजट खर्चों को मंजूरी दे दी। कुछ घंटों बाद राज्यसभा ने भी इसे हरी झंडी दे दी।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

शेयर बाजार में हाहाकार, संसेक्स 3,934 अंक गिरा

नई दिल्ली : कोरोना के बढ़ते प्रकोप से सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। संसेक्स 3,934 अंकों की गिरावट के साथ 25,981.24 अंकों पर बंद हुआ, जो इसका तीन वर्षों का निचला स्तर है। निफ्टी 1,135.20 अंकों की गिरावट के साथ 7,610 के स्तर पर बंद हुआ।

## आयुष्मान भारत योजना को लागू करेगी दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना को लागू करने से इन्कार कर चुकी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में इसे लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत गरीबों को निजी व सरकारी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज हो सकेगा। दिल्ली सरकार इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना व दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक भी लेकर आएगी ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा सकें। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा सोमवार को पेश बजट में स्वास्थ्य के लिए 7704 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 219 करोड़ ज्यादा है। मौजूदा समय में 451 मोहल्ला क्लीनिक, 45 पॉली क्लीनिक हैं। मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या बढ़ाकर एक हजार की जाएगी।

केजरीवाल सरकार ने बजट में किया प्रावधान

स्वास्थ्य के लिए बजट में 219 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या एक हजार करने की योजना

इसी तरह 94 डिस्पेंसरियों को पॉली क्लीनिक में विकसित किया जाएगा। इस योजना पर 365 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में बेड 10 हजार से बढ़ाकर 26 हजार किए जाएंगे। नए अस्पतालों का निर्माण व 16 मौजूदा अस्पतालों के विस्तार के लिए 2576 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। परियोजना पूरी होने पर 16 हजार नए बेड अस्पतालों में जुड़ जाएंगे। इसके लिए 724 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू होगी पेज>>2

## प्रयास

आज शुरुआती आंकड़े जारी किए जाने की संभावना, कम्प्युनिटी ट्रांसमिशन न होने से सटीक अनुमान मुश्किल

## वायरस के खतरे का अनुमान लगाने में जुटी आइसीएमआर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इटली, अमेरिका, चीन समेत कई देशों में कहर बरपाने वाला कोरोना भारत में क्या रंग दिखाएगा इसे लेकर अभी भी असमंजस है। कोरोना वायरस के प्रसार पर नजर रखने वाली देश की प्रमुख संस्था भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) इस सवाल का जवाब ढूँढने में लगी है और मंगलवार को इसके अनुमानित आंकड़े जारी किए जा सकते हैं। दरअसल वैश्विक महामारी का रूप धारण करने वाला कोई वायरस कितने लोगों को ग्रसित कर सकता है, यह जानने का एक जटिल गणितीय फार्मूला है। सामान्य तौर पर यह गणितीय फार्मूला तब लागू होता है जब कम्प्युनिटी ट्रांसमिशन का फेज शुरू हो। भारत में यह फेज अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसमें यह कहा जा सकता है कि अब तीसरा चरण शुरू हो सकता है। यह चरण जब शुरू होगा तब स्थिति को

नियंत्रित करने में ज्यादा मशक्कत करनी होगी। बहरहाल आइसीएमआर अभी तक विश्व के कई देशों में कोरोना के फैलाव को आधार बनाकर अध्ययन कर रही है। उसका पहला आकलन मंगलवार को दिया जा सकता है। इसमें तीन तरह के अनुमान होंगे। पहला- भारत के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। यानी कोरोना वायरस का सबसे कम कितना प्रभाव हो सकता है। दूसरा-सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है और कितने लोग इस वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा-एक बीच का अनुमान भी होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि यदि कोरोना के प्रसार की कड़ी तोड़ने में सरकार के प्रयास में कुछ सफलता मिलती है, तो इसका कितना और कैसा प्रभाव होगा। यूं तो केंद्र की ओर से राज्यों को यही संकेत दिया जा रहा है कि हर स्थिति यानी बुरी से बुरी स्थिति के लिए भी तैयारी कर लें। लेकिन तैयारी का असली रोडमैप आइसीएमआर के आकलन के आधार पर ही शुरू होगा।

कोरोना से बचाव में हर कोई न लेने लगे मलेरिया की दवा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना संकट से निपटने के लिए गठित नेशनल टास्क फोर्स ने मलेरिया की दवा (हाइड्रोक्सी-क्लोरोक्विन) के इस्तेमाल को भी सिफारिश की है। यह निर्देश इसलिए भी अहम है, क्योंकि मलेरिया के इलाज में हर किसी को कोरोना की आशंका के आधार पर इसके सेवन से बचने की हिदायत दी है। साथ ही कहा है कि इसे सिर्फ हाइरिस्क में काम करने वालों को ही दिया जाए। जिसमें हेल्थकेयर वर्कर या फिर जिनके टेस्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। दरअसल अमेरिका और फ्रांस की ओर से इसके प्रभावों होने की बात कहे जाने के बाद लोगों द्वारा इस दवा का अपने आप से दवा की दुकानों से खरीदकर इस्तेमाल करने की सूचनाएं मिल रही थीं। इस पर टास्क फोर्स ने दवा विक्रेताओं से इस

दवा को सिर्फ रिजिस्टर्ड डॉक्टरों के पर्चे पर ही किसी को देने का निर्देश दिया है। वहीं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया से इसके प्रतिबंधित इस्तेमाल की मंजूरी देने की भी सिफारिश की है। यह निर्देश इसलिए भी अहम है, क्योंकि मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को भले ही उसने कोरोना के इलाज में उपयुक्त पाया है, लेकिन अभी इसका ट्रायल नहीं हुआ है। आइसीएमआर ने एडवाइजरी में हाइरिस्क में काम करने वालों को किस तरह से इसे देना है यह समझाया है। इसके तहत कोरोना पाजिटिव मिलने पर पहले दवा शुरू करने में दो बार 400 मिलीग्राम दी जाए। जबकि अगले सात हफ्ते तक इसे हर हफ्ते सिर्फ एक बार 400 मिलीग्राम (एमजी) खाने के साथ ही दी जाए।

## टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर सकता है आइओसी

लुसाने, एफपी :

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ (आइओसी) टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर सकता है। वह इस पर चार सप्ताह के अंदर ही फैसला कर लेगा, जबकि कनाडा ने साफ कहा है कि वह इन खेलों में दल नहीं भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि वह 2021 टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ (आइओसी) ने कहा है कि ओलंपिक को स्थगित करना अनिवार्य हो सकता है। आइओसी इस पर जल्द फैसला लेगा। अगर खेल स्थगित होते हैं तो इस प्रक्रिया में बहुत काम बाकी है इसलिए आइओसी अब जापान सरकार, वैश्विक ओलंपिक आयोग, प्रसारकों और प्रायोजकों से बात करके फैसला लेगा। आइओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने खिलाड़ियों को पर लिखकर बताया है कि इस फैसले में इतना समय क्यों लग रहा

जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक स्थगित करना अनिवार्य हो सकता है

है। उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूँ कि इस अभूतपूर्व स्थिति में आपके जेहन में कई सवाल होंगे। मैं जानता हूँ कि इस जल्दबाजी में इस तरह का व्यवहारिक रवैया आपके सही नहीं लगेगा। कनाडा ओलंपिक समिति व पैरालिंपिक समिति ने कहा कि कोरोना के चलते वह ओलंपिक और पैरालिंपिक 2020 में हिस्सा नहीं लेगा। बीते 48 घंटे में कई और देशों के खेल संघ और ओलंपिक समितियां भी आइओसी पर यह दबाव डाल रहे हैं कि 24 जुलाई से शुरू होने वाले इन खेलों को स्थगित किया जाए। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक समिति ने कहा कि यह लगभग साफ हो गया है कि ओलंपिक निर्धारित समय पर नहीं हो सकेगा इसलिए खिलाड़ी 2021 ओलंपिक के लिए तैयारी करें।